संख्या–446/XVI/08/7(31)/08

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2 देहरादून: दिनांक 30 अप्रैल,2008

विषय:–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–51–52/1–1(2)/2008–09 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0–43825.00 हजार के सापेक्ष रू0–7663.00 हजार (रू0 छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा,तथा धनराशि का आहरण व व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008, दिनांक–27 मार्च, 2008 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी(I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा –निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

....2/–

9– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

10– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–00 के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित योजनाओं एवं उनकी सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–40(P)/XXVII-4/2008,दिनांक–25 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–446/XVI/08/7(31)/08 ,तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–446/XVI/08/7(31)/2008 दिनांक: ३० अप्रैल, 2008 का संलग्नक

भेषज विकास इकाई की वर्ष 2008–09 की आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण।

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या–29 (राज्य सैक्टर) लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म– 00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–00–	प्राविधानित धनराशि (2008–09)	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	4	5
	योजना/ मद का नाम		
1.	16–मानव संसाधन विकास की योजना,		
	18–प्रकाशन व्यय,	200	100
	19–विज्ञापन,बिक्री व विख्यापन व्यय,	50	25
	42–अन्य व्यय,	1050	525
	44–प्रशिक्षण व्यय	4425	2213
	योग– 16	5725	2863
2.	17–भेषज विकास इकाई का ढाँचागत विकास,	28500	—
	24–बृहद निर्माण,	1500	750
	42–अन्य व्यय,		
	योग–17	30000	750
3.	18–भेषज कृषि विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/रा0स0	8100	4050
	योग–18	8100	4050
	कुल योग– (16+17+18)	43825	7663

(रूपये छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।